न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 68 / 2021 निर्णय दिनांकः– 15-7-2022
(जीसीएमएस संख्या 2021 / 280)

1. हरीराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी चक 7 एएम अक्कूसर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. गुड्डी देवी पत्नी हरीराम जाति जाट चक 7 एएम अक्कूसर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बज्जू
दिनांक 22–10–2021

उपस्थितः

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी बज्जू के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2021 जिसके द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार स्थापित किये बिना अपीलांट्स की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को कानून के विपरीत जाकर निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बज्जू के चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 88/19 के किला नम्बर 1 ता 5 तादादी 4 बीघा भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट्स द्वारा खनन विभाग से लीज दिनांक 23–08–2017 प्राप्त की रखी है तथा शेष भूमि पर पानी की डिग्गी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अपनी स्वीकृतशुदा लीज भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किये गये है। अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में खनीज विभाग द्वारा जारी लीजडीड की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा धारा 177 के तहत पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया। उक्त रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया कि चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 88/49 के किला नम्बर 1 ता 5 तादादी 4 बीघा 17 बिस्वा कमाण्ड हरिराम पुत्र रामचन्द्र, गुड्डी देवी पत्नी हरीराम जाति जाट व किला नम्बर 6 ता 15 कमाण्ड हेतराम पुत्र हरिराम की खातेदारी भूमि है। दिनांक 17–2–2018 को मौका निरीक्षण में उक्त मुरब्बा नम्बर में स्वीकृतशुदा एसटीपी एक हेक्टर से ज्यादा जिप्सम खनन होना पाया गया है जोकि अवैध खनन है। संबंधित पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट किसके आदेश से की गई, व अवैध खनन कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। मौका रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि खनन कौनसे किले में किया गया है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्व कार्य किया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्ध वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा मौके पर कभी भी स्वीकृतशुदा भूमि से अधिक भूमि पर खनन का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत उक्त स्थिति के विपरीत जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिसमें अभिलिखित है कि मौके पर 08 बीघा पर अवैध खनन किया गया है को आधार बनाते हुए शेष भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट की कतई जॉच नहीं की गई है कि क्या उक्त रिपोर्ट सही रूप से प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं? जबकि अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि पर स्वीकृतशुदा लीज से अधिक भूमि पर कभी भी खनन कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि आदेश जैर अपील अपीलांट् को पक्षकार स्थापित किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, ऐसा आदेश कानून की परिभाषा में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा खनन विभाग द्वारा जारी लीज से अधिक भूमि पर खनन अर्थात जिप्सम निकालनें का कार्य किया गया है। अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट्स का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी बज्जू के समक्ष तहसीलदार राजस्व ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, बज्जू द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य खनन का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के समक्ष तहसीलदार, बज्जू ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बज्जू ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/अपीलांट को नोटिस जारी किया। नोटिस पर अपीलांट् के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व नियमानुसार एरतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी ने जबावदावा पेश किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अपीलांट ने अपने रकबे पर जिप्सम खनन किया है जबकि अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा जितनी भूमि पर माईनिंग विभाग से लीजडीड प्राप्त है अर्थात एक हैक्टर भूमि पर खनन का कार्य करते हुए जिप्सम का अवैध खनन उनके द्वारा नहीं किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह तो साबित है कि अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध खनन किया है। जोकि भूमि की किस्म के प्रावधानों के विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलांट् द्वारा जिप्सम हेतु

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

धारित लीजडीड के अतिरिक्त भूमि पर किये गये अवैध खनन को ध्यान में रखते हुए शेष भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जोकि युक्तियुक्त व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में आता है। ऐसीस्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 22—10—2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14/7/22 को सरे इजलास सुनाया गया।.

14/7/2022

(समरवीर सिंह चौहान)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर